to voting, it is for no. That is a peculiar proposition indeed. I would request him that since he is really a friend of the working class he should accept this. He should join with us on this issue of provident fund. I do not want to repeat the same thing again and again and the same arguments. My point is this. Unless and until you specifically and explicitly have the word provident fund included, I am afraid, it will not help the workers because they are not in a position to go for endless litigation and so on. They are not that part of society who have the money to put into the pockets of those people who help to create and proleferate black money in this country. Therefore if you really want to prevent further inflation and further increase in black-market you must accept this amendment.

Now I come to the next amendment, No. 96. For the next clause the Minister has himself come forward with an amendment, which we are supporting, that is, to clause 15(1). On the same lines I do not understand why he cannot accept this amendment of ours which amendment is to the effect of saying "deduct money before paying compensation to the employers." All the time you have been saying "Where do I find money? It runs into crores" and so on. In your own amendment, you say that workers will have priority for those dues. I draw your attention to your own amendment. Why do you not bring an amendment to this Clause on the same principle? That is our submission. The employer has already got fabulous profits and you are going to pay him more as compensation, over and above what he has already stolen. The worker should be given his dues which he has earned by the sweat of his brow. He performs the national duty of moving the wheels of industry, to contribute his share to national development and progress. I request you to accept these amendments.

सभापति महोदय : श्रमी स्पीकर साहब ने एक नोट मंजूर करके भेजा है कि श्री के० सी० पन्त एक स्टेटमेंट देंगे। जहां तक मैंने देखा है उस स्टेटमेंट को सुन कर आपको खुशी होगी।

STATEMENT RE. REVISION OF WAGES IN COAL INDUSTRY

17.46 hrs.

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI K. C. PANT): As the Hon. Members may be aware of a comprehensive revision of the wages in the coal industry was last made in August 1967 on the basis of the accepted majority recommendations of the Central Wage Board for the coal mining industry. After the nationalisation of the industry, at the instance of the Central Government a Joint Bipartite Negotiating Committee consisting of the representatives of the Central Trade Unions and the managements of the coal producing companies was set up in August, 1973. The Committee has been holding its deliberations since then. I am happy to report that the Committee has now reached an agreement.

In view of this Agreement the Trade Unions have withdrawn the notice for an indefinite strike in the industry with effect from 16th December, 1974.

The Agreement will benefit about five and a half lakh workers in the coal industry.

The Members will appreciate the strategic position that the coal industry occupies today in the country's economy, particularly in the context of the energy crisis. After nationalisation, the Government has assumed direct responsibility for a massive increase in coal production, from the level of 78 million tonnes in 1973-74 to 135 million tonnes by the end of the Fifth Plan. The Trade Union

leaders have assured me that with this agreement the workers will give of their best and cooperate fully in raising coal production and productivity.

I welcome this assurance.

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग) : कोयला खान मजदूरों के बीच काम करने के नाते मैं अपने तथा उनकी ओर से इस स्टेटमेंट का हृदय से स्वागत करता हूं। श्री पन्त ने जिस परिश्रम से यह समझौता कराया है, और देश के मजदूर आन्दोलन के इतिहास में जो एक सुनहरी अध्याय जोड़ा है, उसके लिए मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं।

17.48½ hrs.

SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL—*contd*

Clause 14 (Employment of certain employees to continue)—contd.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : जितने भी प्रवचन माननीय सदस्यों के हुए हैं उन सब का मुख्य विचार यह रहा है कि प्राविडेंट फंड की राशि, जो मजदूरों की कमाई में से काटी गई है उसके लिए जो कोई व्यवस्था नहीं की गई है वह की जानी चाहिए थी। इस बिल को इस सिद्धान्त को सामने रख कर लाया गया है कि मजदूर बेकार न हों, उनकी रोजी-रोटी न छिन जाये। करीब 1 लाख 60 हजार मजदूरों की रोजी-रोटी की समस्या थी। उनको जरूरियात की चीजें आसानी से मिल सकें, वे बेकारी का शिकार न हों, इसको सामने रखते हुए यह बिल लाया गया था। अगर माननीय सदस्यों की कोई ऐसी धारणा है कि सरकार इस बिल के द्वारा मजदूरों का अहित करने चली है तो उसमें कोई सत्यांश नहीं होगा। मैंने अभी निवेदन किया था कि प्राविडेंट फंड का जहां तक प्रश्न है विशेष तौर से उस शब्द को जोड़ा गया है प्री टेक ओवर के दूसरे शेड्यूल पार्ट बी में। सिक्योर्ड लोंज को तीसरी जगह से हटा कर चौथी जगह रखा गया और मजदूरों की तनख्वाह जो बकाया रह गई, प्राविडेंट फंड और दूसरे उनके जो ड्यूज हैं उनको तीसरी श्रेणी में ला कर रखा गया। इसको तीसरी श्रेणी में लाने से प्राविडेंट फंड का ज्यादा तर हिस्सा जो बकाया है प्री टेक ओवर का और मजदूर का वह इससे निकल आयेगा। जो कुछ बचेगा उसके लिए प्रयत्न किया जायेगा कि किस तरह से उस समस्या को हल किया जाये।

श्री बनर्जी और श्रीमती पार्वती कृष्णन् का ऐसा कहना है कि सरकार क्लाज 14 की सब क्लाज एक में ग्रेचुइटी और पेंशन के साथ प्राविडेंट फंड शब्द क्यों नहीं जोड़ देती है। यह जो व्यवस्था है यह केवल एम्प्लायमेंट की कंडीशंज को बताती है। इसके अन्दर गवर्निंग शक्ति नहीं है। आप ने यहां पर यह भी कहा था कि सालिसिटर जनरल ने यह मशिवरा दिया था कि पेंशन और ग्रेचुइटी के साथ-साथ प्राविडेंट फंड भी शामिल है। यह सत्य नहीं है। वास्तव में उन्होंने यह मशिवरा दिया था कि पेंशन और ग्रेचुटी का जहां तक प्रश्न है वह एटायर सर्विस से जुड़ा रहेगा। यदि मजदूर ने तीन साल नौकरी नेशनल टैक्सटाइल मिल के अन्दर की और दस वर्ष प्री टेक ओवर पीरियड में तो जिस समय वह रिटायर होगा उस समय उसे (बीस धन दस) तीस साल की ग्रेचुइटी, और पेंशन की जो सुविधा है वह तीस साल की नौकरी को ध्यान में रख कर दी जायेगी. .

श्री राम सिंह भाई (इन्दौर) : 7 अक्तूबर, 1974 को जब मिलों का सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया तब एक नोटिस वहां लगा था कि सालिसिटर जनरल की राय के अनुसार मजदूरों की ग्रेचुइटी और प्राविडेंट फंड का पैसा उनको मिलता रहेगा और आज तारीख तक वह मिल भी रहा है। वह नोटिस जारी